जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 13.02.2024**

पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना कोतवाली शामली का वार्षिक निरीक्षण कर संबंधित आधिकारी/कर्मचारीगण को दिए आवश्यक दिशा–निर्देशः-

आज दिनांक 13.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक द्वारा थाना कोतवाली शामली का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा थाने के भवन व बाऊंड्री वाल का निरीक्षण कर साफ सफाई व भवनों के निर्माण व मरम्मत हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात महत्वपूर्ण अभिलेख ग्राम अपराध रजिस्टर, सजा यावी रजिस्टर, अपराध रजिस्टर एवं अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों को चैक किया गया तथा आगामी सामान्य लोकसभा चुनाव – 2024 के दृष्टिगत दुराचारी व्यक्तियों व अराजक तत्वो के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। थाने पर फरियादियों की समस्या व महिला फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण हेतु थाने पर जनसुनावाई/महिला हेल्प डेस्क/साईबर हैल्प डैस्क पर नियुक्त पुरुष/महिला कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्दश दिये गये। CCTNS कार्यालय पर फीडिंग होने वाली सूचनाओं, लंबित विवेचना, हवालात/मालखाना का निरीक्षण किया गया, साथ ही थाना कोतवाली शामली के समस्त पुलिस कर्मियों की समस्याओ को सुनकर उनके निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित दिये गये साथ ही पुलिस कर्मियों को जनता के साथ मृदु व्यवहार करने के निर्देश भी दिये गये। पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत कोतवाली शामली में खडे वाहनो के निस्तारण हेतु विधिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया तथा ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत महत्वपूर्ण स्थानों/हॉट स्पॉट पर जन सहयोग से सीसीटीवी लगवाये जाने हेतु थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए निर्देश निर्गत किये गये साथ ही पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली शामली को रात्रि गस्त व प्रभावी चैकिंग करने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी श्री समयपाल अत्री के अतिरिक्त सभी उपनिरीक्षक/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

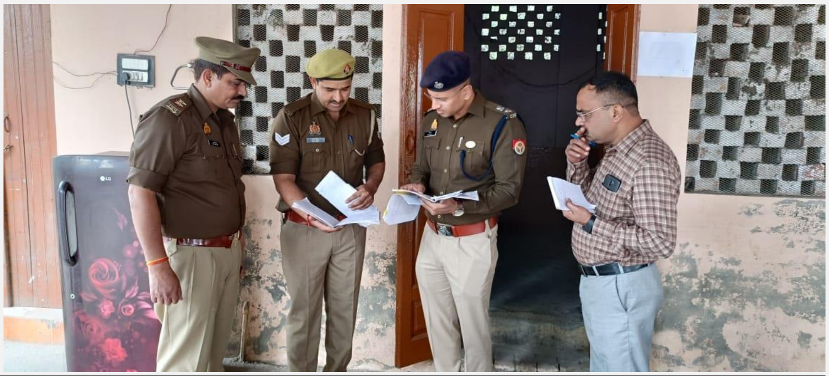

<u>अपर पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा पुलिस लाईन का वार्षिक निरीक्षण कर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारीगण को दिये आवश्यक दिशा-निर्देशः-</u>

आज दिनांक 13.02.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक जनपद शामली द्वारा पुलिस लाईन शामली का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस लाईन स्थित शस्त्रागार, कैश कार्यालय, भोजनालय, परिवहन शाखा, भंडार गृह एवं पुलिस कर्मियों के आवासीय बैरकों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने एवं पुलिस लाईन परिसर में साफ–सफाई किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया तथा पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया । वार्षिक निरीक्षण के दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री विक्रम सिंह व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

ज्ञात हो कि 08.08.2023 को श्री सुधीर कुमार पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम गागौर थाना झिंझाना जनपद शामली के साथ योगेन्द्र, देवेन्द्र, लोकेन्द्र व उपेन्द्र पुत्रगण स्व0 धर्मवार सिंह निवासीगण ग्राम गागौर थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा पूर्व से इकरारनामा की हुई भूमि को फर्जी दस्तावेज तैयार कर दोबारा इकरारनामा कर देना तथा एग्रीमेंट की हुई भूमि से वंचित करने के उद्देश्य से फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोन लेकर धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर नामजद 04 अभियुक्तों के विरुद्ध लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त घटना में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना को निर्देशित किया गया था।

जिसके क्रम में आज दिनांक 13.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.उपेन्द्र पुत्र स्व0 धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम गागौर थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 41/2017 धारा 138(बी) विधित अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 619/2017 धारा 307/323/498ए/504 भादवि व 3/4 दहेज अधि0 थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 305/2023 धारा 420/406/467/468/471/506/120B भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.निरी0 श्री सुदेश कुमार प्रभारी थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री सुभाष सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.हे0का0 राजा बनिवाल थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.हे0का0 फारुख अली थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस के द्वारा थाने के हिस्ट्रीशीटर/टॉप -10 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामदः-

दिनांक 12.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाने के हिस्ट्रीशीटर/टॉप-10 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.सोमपाल पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 49/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 613/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 390/2020 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 175/2019 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 611/2018 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

6.मु0अ0सं0 1067/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

7.मु0अ0सं0 872/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

8.मु0अ0सं0 190/2016 धारा 147/148/149/323/325/392/452/504 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0का0 अंशूल पूनिया थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.है0का0 राहुल मलिक थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.का0 दीपक यादव थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अवैध शराब के निर्माण को चलाई जा रही भट्टी पर छापेमारी कर 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 60 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद तथा मौके पर 1600 लीटर लहन व भट्टी को नष्ट किया गया।

आज दिनांक 13.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार अवैध शराब के निर्माण/बरामदगी/तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अवैध रुप से चलाई जा रही शराब की भट्टी पर छापेमारी करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 60 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए है। मौके पर मिले 1600 लीटर लहन व शराब भट्टी को पुलिस पार्टी द्वारा नष्ट कराया गया है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.जज सिंह पुत्र मेहर सिंह निवासी ग्राम डौगपुरा हल्का मंसूरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध कच्ची शराब 60 लीटर।

2.कच्ची शराब बनाने के उपकरण (02 ड्रम, 01 कैन, 01 पतीला, 01 मिट्टी का झांवला, 01 जरीकेन काली, 01 गैस भट्टी, 01 सिलेण्डर आदि)।

3.नष्ट कराई गई भट्टी व 1600 लीटर लहन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सतीश सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0का0 अमित सांगवान थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.है0का0 अरुण कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.का0 सुमित नागर थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे अवैध हथियार बरामदः-

आज दिनांक 13.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.जुल्फाम पुत्र अलियास निवासी ग्राम जन्धेड़ी थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री संदीप कालखंडे थाना कैराना जनपद शामली।

2.का0 अमित कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3.का0 सोनू भाटी थाना कैराना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना शामली द्वारा सुनाई 05 वर्ष के कारावास की सजा व 5000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

वर्ष 2021 में अभियुक्त सोनू पुत्र शीशपाल निवासी ऊझा थाना चांदनी बाग जनपद पानीपत हरियाणा के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 390/2021 धारा 366 भादवि में पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 13.02.2024 को माननीय न्यायालय ADJ/SPL/SCST कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त सोनू उपरोक्त को धारा 366 भादवि में सुनाई 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 5000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.सोनू पुत्र शीशपाल निवासी ऊझा थाना चांदनी बाग जनपद पानीपत हरियाणा

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI